

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या ___/2023

[@ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4241/2019]

सुरेंद्र सिंह ... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य ... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

एम आर शाह, न्यायाधीश

1. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर द्वारा खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 818/2013 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2018 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी अभियुक्त – विजेंद्र सिंह द्वारा दायर उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।
2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :
 1. 28.11.2010 को हुई एक घटना के लिए पुलिस द्वारा 01.12.2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि 28.11.2010 को,

जब शिकायतकर्ता का छोटा भाई नरेंद्र सिंह सुबह करीब 9.30 बजे हैंडपंप से पानी भर रहा था, आरोपी भूपेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह और भवानी सिंह, संगीता और गुलाब कंवर ने नरेंद्र सिंह पर लाठी से वार किए। उक्त घटना में नरेंद्र सिंह व भवानी सिंह बेहोश हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। भवानी सिंह का निधन हो गया। प्राथमिकी 445/2010 दर्ज की गई थी। हालांकि प्राथमिकी में पांच लोगों को नामजद किया गया था, पुलिस ने धारा 341, 323, 325/34, 308/34 और 302 और वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दो व्यक्तियों अर्थात् भूपेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों पर उक्त अपराध का विचारण किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों का परीक्षण किया और सात दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख पर लाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान लिए गए।

2. विचारण के दौरान आरोपी भूपेंद्र सिंह की मौत हो गई। इस तरह उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शेष तीन अभियुक्तों के खिलाफ **जिन्हें** अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया था, एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनौती पर और प्रतिप्रेषण पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने शेष तीन अभियुक्तों का अभियुक्त के रूप में विचारण का निर्देश दिया और अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने का आदेश पारित किया। हालांकि, शेष तीन अभियुक्त उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में कई वर्षों तक फरार रहे, इसलिए प्रतिवादी विजेंद्र सिंह के खिलाफ विचारण अलग हो गया। आरोप फिर से तय किया गया और आरोपी विजेंद्र सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत भी अपराध का आरोप लगाया गया। इसके बाद विचारण के समापन पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी विजेंद्र सिंह को

धारा 147, 323, 302/149 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे धारा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास, धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए एक साल के सश्रम कारावास और धारा 147 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

3. प्रतिवादी यहाँ अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त विजेन्द्र सिंह की धारा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है। उसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी के व्यक्तिगत कृत्य पर विचार किया और तत्पश्चात् इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह (जो विचारण के दौरान मर गया) द्वारा सिर पर घातक प्रहार किया गया था और अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार लाठी थी, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है।
4. मूल शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता सुरेंद्र सिंह ने, धारा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान अपील दायर की है।
3. श्री सिद्धार्थ दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए, श्री विशाल मेघवाल, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी – राज्य की ओर से

उपस्थित हुए और श्री अभिषेक गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित हुए।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा पुरजोर तरीके से तर्क दिया गया है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह देखने में तात्त्विक रूप से त्रुटि की है कि धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा पुरजोर तरीके से तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन करने में तात्त्विक रूप से त्रुटि की है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यहां तक कि पुलिस ने पाया कि प्रकरण केवल दो अभियुक्तों के खिलाफ था और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अपराध का संज्ञान बाद में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन की अस्वीकृति के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के प्रतिप्रेषण पर, लिया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय ने बाद में आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया और इसलिए धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री दवे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पुरजोर तरीके से तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ठीक से समझा नहीं और/या इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्राथमिकी में पांच अभियुक्तों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे। हालांकि, उचित समय पर जांच अधिकारी ने केवल दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और शेष तीन व्यक्तियों को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन को स्वीकारते हुए, बाद में आरोपी के रूप में रखा गया। यह तर्क दिया गया है कि जब सभी पांच व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, अलग-अलग हो सकता है, इसमें पांच व्यक्तियों की संलिप्तता थी, जो विधिविरुद्ध जमाव करते हैं इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू होगी।

3. इस न्यायालय के निर्णय में, प्रकरण **भारवाड़ मेपा दाना और अन्य बनाम बंबई राज्य 1960 (2) एससीआर 172** और **मिज़ाजी और अन्य बनाम यूपी राज्य (1959) पूरक (1) एससीआर 940** पर बहुत भरोसा किया गया है।
5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी का समर्थन किया है।
6. अभियुक्त संख्या 2 की ओर से श्री अभिषेक गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता ने **रॉय फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य, (2012) 3 एससीसी 221** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, पुरजोर तरीके से तर्क दिया है कि इस प्रकार तथ्यों पर अभियुक्त को धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषी ठहराने का कोई मामला नहीं बनता है।
1. यह तर्क दिया गया है कि केवल इसलिए कि हो सकता है कि आरोपी अपराध किए जाने के समय मौजूद रहा हो और वास्तव में अपराध करने में भाग लिया हो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि अन्य अभियुक्तों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उनमें से किसी एक के मृतक की हत्या करने की संभावना है, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 नहीं लगेगी।
2. अब जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि का सवाल है, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से पुरजोर तरीके से तर्क दिया गया है कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 2 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील को दायर नहीं किया है, फिर भी दोषमुक्ति के खिलाफ राज्य द्वारा की गई अपील में, अभियुक्त यह प्रस्तुत कर सकता है कि उसे किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। **राजस्थान राज्य बनाम रामानंद (2017) 5 एससीसी 695** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

3. अपने तर्कों के समर्थन में कि प्रतिवादी – अभियुक्त को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, प्रतिवादी – अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

(i) प्राथमिकी दर्ज करने में साढ़े तीन दिन की देरी हुई थी।

(ii) गर्दन पर लगी चोट स्थापित और सिद्ध नहीं हुई है;

(iii) अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कारित चोटों पर महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं।

वह हमें अभियोजन साक्षी 7 के रूप में परीक्षित किए गए डॉक्टर के बयान और चोट की रिपोर्ट पर ले गया है।

7. उपरोक्त तर्क देते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए भी बरी कर दिया जाए।

8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

9. सर्वप्रथम, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषी ठहराया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने **पाया** और अभिनिर्धारित किया कि प्रारम्भ में अभियोग पत्र केवल दो व्यक्तियों/अभियुक्तों के खिलाफ दायर किया गया था और बाद में तीन व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में रखा गया था और उन पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 नहीं लगेगी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्राथमिकी के अनुसार भी तीन आरोपी घटना स्थल पर आए थे जब उन्होंने नरेंद्र सिंह को पानी भरते देखा था और इस प्रकार यह पांच आरोपियों की सभा नहीं थी।

10. हालांकि, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि रिपोर्ट/प्राथमिकी में पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे और पांच आरोपी व्यक्तियों को प्राथमिकी में नामजद किया गया था। हालांकि, जांच अधिकारी ने केवल दो व्यक्तियों को अभियोग पत्र में लिया। शेष तीन आरोपी व्यक्तियों को धारा 319

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन को स्वीकारते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी के रूप में जोड़ा गया। चूंकि वे फरार हो गए थे और इसलिए उनके मुकदमे को अलग करने का आदेश दिया गया था और यह बताया गया है कि शेष अभियुक्तों के खिलाफ विचारण अभी भी लंबित है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत अपराध के आरोपों का सामना कर रहे हैं। प्रकरण के उस परिदृश्य में जब पांच व्यक्तियों को प्राथमिकी में विशेष रूप से नामित किया गया था और पांच व्यक्ति विचारण का सामना कर रहे हैं, हो सकता है अलग से, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू होगी। इस स्तर पर, **भारवाड़ मेपा दाना (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को धारा 149 भारतीय दंड संहिता की प्रयोज्यता पर संदर्भित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से यह मामला था कि 13 नामित व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव बनाया था और जिसका सामान्य उद्देश्य तीन भाइयों को मारना था। उनमें से बारह पर सत्र न्यायालय ने मुकदमा चलाया था जिसने सात को बरी कर दिया था और उच्च न्यायालय ने एक और को बरी कर दिया था। इससे संख्या चार रह गई। अभियुक्तों की ओर से यह मामला था कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पांच की आवश्यक संख्या से नीचे केवल चार व्यक्तियों को दोषी ठहराया था, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त तर्क को नकार दिया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि केवल इसलिए कि विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा बनने वाले दो अन्य व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया गया था क्योंकि उनकी पहचान स्थापित नहीं की गई थी, अभियुक्त को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त निर्णय में, यह विशेष रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 147 के तहत एक मामले में आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का 141 भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित विधिविरुद्ध जमाव था। सभा में शामिल

व्यक्तियों की पहचान व्यक्तिगत अभियुक्त के दोष के निर्धारण से संबंधित मामला है, और यहां तक कि जब केवल पांच से कम व्यक्तियों को दोषी ठहराना संभव है, तब भी धारा 147 लागू होती है, यदि मामले में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सक्षम है कि व्यक्ति या कई व्यक्ति जो दोषी पाए गए हैं, वे पांच या अधिक व्यक्तियों ज्ञात या अज्ञात, शिनाख्त किए गए और बे-शनाख्त की एक सभा के सदस्य थे।

1. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने यह **अवलोकन** करने में गंभीर चूक की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब लेने का कोई मामला नहीं बनता है।
2. अब एक बार जब प्रतिवादी – अभियुक्त को पांच से अधिक व्यक्तियों के विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य पाया गया और उसने वास्तव में अपराध करने में भाग लिया, हो सकता है कि घातक वार किसी अन्य अभियुक्त द्वारा दिया गया हो, वर्तमान मामले में भूपेंद्र सिंह, अभी भी धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से, प्रतिवादी-अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषी ठहराया जा सकता है। प्रकरण निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के पहले भाग के अंतर्गत आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के पहले भाग के अनुसार, यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, एक अपराध उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के समय उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। मिज़ाजी और अन्य के मामले में (उक्त), इस न्यायालय के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 149 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दो भागों के बीच अंतर पर विचार करने का अवसर था। निम्नानुसार यह अवलोकन किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि :

"यह धारा भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में व्याख्या का विषय रही है, लेकिन हर प्रकरण का उसके तथ्यों पर निर्णय करना होता है। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों की बैठक में सामान्य उद्देश्य के संबंध में कोई पूर्व योजना हो; यह पर्याप्त है यदि इसे सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जाता है और उन सभी द्वारा साझा किया जाता है। उस क्रम में कि मामला पहले भाग के अंतर्गत आ सकता है, किए गए अपराध को विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोड़ा जाना चाहिए, जिसके आरोपी सदस्य थे। भले ही किया गया अपराध, सभा के सामान्य उद्देश्य के प्रत्यक्ष अग्रसरण में न हो, फिर भी यह धारा 149 के अंतर्गत आ सकता है, अगर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि अपराध ऐसा था मानो सदस्यों को पता था कि किए जाने की संभावना है। अभिव्यक्ति 'मुझे पता है' का अर्थ केवल संभावना नहीं है, जैसे कि हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि जब किसी गाँव में भारी हथियारों से लैस पुरुषों का एक समूह किसी महिला को जबरन ले जाने के लिए निकलता है, तो किसी की हत्या होने की संभावना होती है और विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों को उस संभावना के बारे में पता होना चाहिए और धारा 149 के दूसरे भाग के तहत दोषी होंगे। इसी प्रकार, यदि व्यक्तियों का एक समूह भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए हथियारबंद होकर जाता है, यह कहना समान रूप से सही होगा कि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि हत्या होने की संभावना है, यदि लिए गए हथियारों के सम्बन्ध में परिस्थितियाँ और विधिविरुद्ध जमाव के

सदस्यों के अन्य आचरण स्पष्ट रूप से उन सभी की ओर से इस तरह के ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। साबिद अली के प्रकरण में काउच, सी. जे. की राय के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है (1) कि जब सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जो विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में होने की संभावना है। हालांकि, यह विपरीत विचार को सत्य नहीं बनाता है; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग में आएंगे, लेकिन पहले भाग में नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दो भागों के बीच के अंतर को न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। हर प्रकरण में यह निर्धारित किया जाना एक मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध धारा 149 के पहले भाग के अंतर्गत आता है जैसा कि ऊपर बताया गया है या यह एक ऐसा अपराध था कि सभा के सदस्यों को पता है कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में होने की संभावना है और यह दूसरे भाग के अंतर्गत आता है।"

3. जहां तक **रॉय फर्नांडिस (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय पर प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से किए गए भरोसे का प्रश्न है, तथ्यों पर उक्त निर्णय लागू नहीं होगा। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने धारा 149 भारतीय दंड संहिता के दूसरे भाग पर विचार किया था। इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के पहले भाग और धारा 149 के पहले भाग और दूसरे भाग के बीच के अंतर पर विचार नहीं किया, जिस पर इस न्यायालय ने **मिज़ाजी और अन्य (उक्त)** के मामले में विचार किया है।

11. अब, जहां तक अभियुक्त की ओर से तर्क है कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था, का संबंध है,

हालांकि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती नहीं दी है, हमने अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत उसकी दोषसिद्धि पर गुणागुण के आधार पर सुना है।

1. अभियुक्त की ओर से तर्क कि 3½ दिनों की देरी हुई थी, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विस्तार से निपटाया गया है और विचार किया गया है। परिवादी सुरेंद्र सिंह द्वारा उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। घटना के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भवानी सिंह की हालत गंभीर थी। शिकायतकर्ता ने उसके इलाज पर ध्यान दिया। एक अन्य घायल नरेंद्र सिंह भी इलाज में व्यस्त रहा। इस प्रकार, जब देरी को पर्याप्त रूप से और ठीक से समझाया गया है, तो हमें उपरोक्त आधार पर कि प्राथमिकी दर्ज करने में साढ़े तीन दिन की देरी हुई थी, आरोपी को संदेह का लाभ देने का कोई कारण नहीं दिखता है।
2. अभियुक्त की ओर से चोटों और चोटों में विरोधाभासों पर तर्क, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी 1 और अभियोजन साक्षी 4 का बयान और चिकित्सक अभियोजन साक्षी 7 का बयान आरोपी के खिलाफ प्रासंगिक सामग्री/बयान है। मृतक को निम्नलिखित चोटें लगी हैं :
 1. सिर के बीच में लाल रंग के मुलायम थक्के के साथ 2x1/2 सेमी खरोंच वाली चोट और सिर की त्वचा के नीचे रक्तगुल्म
 2. दाहिने सिर पर नीले रंग की सूजन 2 SxL आकार की, आंतरिक रक्तगुल्म सिर के अग्र भाग में,
 3. सिर के पश्चकपाल क्षेत्र पर 2 सेमी. टांके का घाव। सिर के दाहिनी ओर पार्श्विका क्षेत्र में रक्त का थक्का।
 4. सामने के पार्श्व भाग में 3x2 सेमी खरोंच की चोट।
 5. नाक के ऊपर 1x½ सेमी की चोट।

6. दाहिने घुटने पर 2x½ सेमी खरोंच की चोट।
7. बाएं पैर के निचले हिस्से पर 5X0.5 सेमी खरोंच की चोट।
8. बाएं पैर के मध्य भाग पर 0.5X0.5 सेमी खरोंच की चोट।
9. गर्दन के पिछले हिस्से पर 6x1.5 सेंटीमीटर नीले रंग का घाव। आगे की जांच करने पर पता चला कि बायीं मांसपेशियों में रक्तगुल्म है और चौथी और पांचवीं ग्रीवा की पसलियां टूटी थी। उस पर सूजन आ गई थी।
10. पेट के आगे नाभि की तरफ 2.5x1.5 सेमी नीले रंग का घाव।

चिकित्सक की राय के अनुसार ये सभी घाव और चोटें मौत का कारण होती हैं। चिकित्सक की राय और चिकित्सक के बयान के अनुसार मौत चोट क्रमांक 9 के कारण, गर्दन की रीढ़ की हड्डी में घाव के झटके से हुई। हालांकि चोट क्रमांक 9 आरोपी भूपेंद्र सिंह ने कारित की थी, जैसा कि ऊपर देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया, प्रतिवादी-आरोपी विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा होने के नाते और जिसने अपराध करने में भी भाग लिया था, वह धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगा, यहां तक कि मुख्य वार करने वाले आरोपी भूपेंद्र सिंह के कृत्य लिए भी।

12. इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को बरी करने का आक्षेपित निर्णय और आदेश धारणीय नहीं है और यह रद्द किए जाने और अपास्त किए जाने के योग्य है।

ऊपर बताए गए कारण को देखते हुए वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी - अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता व धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए बरी करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद द्वारा रद्द किया दिया जाता है और अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी - अभियुक्त को धारा 427, 323 और 302/149 भारतीय

दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 – अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काटनी है। प्रतिवादी संख्या 2 को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आजीवन कारावास की शेष सजा भुगतने के लिए संबंधित प्राधिकरण/न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, ऐसा न करने पर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।

तद्विषयक वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

न्यायाधीश

(एम. आर. शाह)

न्यायाधीश

(सी.टी. रविकुमार)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए, उसकी भाषा में समझाने के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।